न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी राजेन्द्रसिंह चांदावत, आर0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 20/2023

अपीलांट्स –

1. खरथाराम पुत्र श्री अचलाराम जाति कुम्हार निवासी छीतर का पार, तहसील बायतु जिला बाड़मेर

बनाम

रेस्पोडेंट्स –

1. अर्जुनराम पुत्र अचलाराम
2. चेतनराम पुत्र भैराराम
3. जोधाराम पुत्र भैराराम
4. बाबूलाल पुत्र भैराराम
5. मूलचंद पुत्र भैराराम
6. लिखमाराम पुत्र भैराराम
7. हल्का पटवारी, पटवारी छीतर का पार तहसील बायतु जिला बाड़मेर
8. उपतहसीलदार बाटाडू तहसील बायतु
9. तहसीलदार बायतु
10. मोहनलाल पुत्र भैराराम जाति कुम्हार निवासी छीतर का पार तहसील बायतु जिला बाड़मेर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध आदेश क्रमांक 588 दिनांक 26.11.2021 जो संयुक्त खातेदारी की भूमि के विभाजन हेतु तहसीलदार बायतु द्वारा पारित किया।

उपस्थिति :–

1. श्री सुरेश कुमार पूनड़, अधिवक्ता अपीलांट की ओर से उपस्थित।
2. श्री चम्पालाल प्रजापत, अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 1से6एवं 10 की ओर से उपस्थित।
3. रेस्पो0 सं. 7से9 प्रर्फोमा पक्षकार।

निर्णय

दिनांक : 13.08.2024

1. अपीलांट्स की ओर से यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत रेस्पोडेंट तहसीलदार बाय[illegible] कृषि भूमि के विभाजन हेतु पारित आदेश क्रमांक 588 [illegible] 26.11.2021 [illegible] गई है।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त [illegible] छीतर का पार में [illegible]सरा संख्या 231, 515/230 कुल रकबा 4–5142 [illegible] भूमि खातेदारान अर्जुनराम पुत्र अचलाराम, खरथाराम पुत्र अचलाराम, चेतनराम, जोधाराम, बाबुलाल, मुलचन्द,

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Singh Chandawat
Date: 2025.06.20 10:37:00 IST
Reason: SelfAttested

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

मोहनलाल, लिखमाराम पि. भेराराम सा. देह के नाम खातेदारी में दर्ज थी। उक्त खातेदारान ने कृषि जोतो का विभाजन प्रार्थना–पत्र पेश कर अपनी खातेदारी की भूमि के विभाजन हेतु प्रशासन गांवो के संग अभियान–2021 में दिनांक 26.11.2021 को प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना–पत्र के संलग्न विभाजन प्रस्ताव के अनुसार विभाजन करने का निवेदन किया। इस पर हलका पटवारी छीतर का पार की रिपोर्ट अनुसार तहसीलदार बायतु द्वारा उक्त अपीलाधीन विभाजन स्वीकृति आदेश क्रमांक 588 दिनांक 26.11.2021 पारित किया गया, जिसके विरूद्ध यह अपील अन्तर्गत धारा 225 इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 01.02.2023 को प्रस्तुत की गई है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया।

3. अपीलांट की अपील मयाद के बिन्दु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया। अपीलाधीन अभिलेख तलब किया जाकर अवलोकन किया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अपीलांट एवं रेस्पोडेंट्स के अधिवक्तागण को सुना। अधिवक्ता अपीलांट ने निवेदन किया कि अपीलांट्स व रेस्पोडेंट्स की संयुक्त खातेदारी एवं पैतृक मौजा छीतर का पार में खेत खसरा संख्या 231, 515/230 कुल रकबा 4–5142 बीघा में आई हुई है। उक्त भूमि में खसरा नंबर 231 में से 6 बीघा भूमि एवं खसरा नंबर 515/230 पूरा ही अपीलांट के हिस्से में रखा गया था क्योकि खेत खसरा नंबर 515/230 में अपीलांट व उसके पुत्रों की रहवासीय ढाणीयां बनी हुई है जिसमें अपीलांट व उनके पुत्रों का सपरिवार रहवास है तथा भूमि पर काबिज काश्त है। अपीलांट व रेस्पोंडेट्स देहाती अनपढ़ व्यक्ति है जो अपने हस्ताक्षर करना ही जानते है अपीलांट ने उक्त बंटवाडा दर्ज करवाने हेतु हल्का पटवारी को जमीन कागजात तैयार करवाने हेतु कहा तथा हल्का पटवारी द्वारा आनन फानन में खसरा नंबर 515/230 रेस्पोडेन्ट अर्जुनराम के हिस्से में गलत तरह से रख खसरा नंबर 231 में अपीलांट को 6 बीघा भूमि हिस्से में देना था लेकिन गलती से हल्का पटवारी ने 9 बीघा भूमि अपीलांट के हिस्से मे गलत तरह से दर्शाकर रंग भर दिये, लेकिन उक्त नक्शा जो बनाया गया उससे अपीलांट एवं रेस्पोडेंट्स को अवगत एवं समझाया तक नहीं था। तथा विभाजन गलत तैयार कागजात व रेकर्ड के आधार पर भूमि के बंटवाडे की अनुमति प्रदान कर भूमि का बंटवाडा कर दिया। गलत बंटवाडा होने से अपीलांट को भारी परेशानी एवं लाखों रुपये नुकसान अपनी ढाणीयां बना रखी है, उससे अपीलांट को महरूम रहना पडा। उससे अपीलांट को अत्यधिक अपूर्णनीय क्षति होगी। जिस कारण उक्त आदेश निरस्त योग्य है।

5. अपीलांट के अधिवक्ता ने यह भी प्रकट किया कि हल्का पटवारी द्वारा आनन फानन में खसरा नंबर 515/230 रेस्पोडेन्ट अर्जुनराम के हिस्से में गलत तरह से रख खसरा नंबर 231 में अपीलांट को 6 बीघा भूमि हिस्से में देना था लेकिन

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Singh Chandawat
Date: 2025.06.20 10:37:00 IST
Reason: SelfAttested

अपर कलक्टर बाड़मेर (ए.डी.एम.)

गलती से हल्का पटवारी ने 9 बीघा भूमि अपीलांट के हिस्से मे गलत तरह से दर्शाकर रंग भर दिये। उक्त गलत बंटवाडा अनुसार राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज कर दिये गये, जिसका ज्ञान अपीलांट को दिनांक 12.01.2023 को राजस्व रेकर्ड व आपसी बंटवाडा की प्रमाणित प्रतिलिपियां प्राप्त करने पर हुआ। इस पर जानकारी होने से यथा शीघ्र अपील अन्दर मयाद प्रस्तुत की गई है। अपील प्रस्तुत करने में हुए सद्‌भाविक विलम्ब को क्षमा करने के लिए धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र अपील के संलग्न प्रस्तुत कर अपील को अन्दर मयाद शुमार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने का आदेश फरमाने का भी निवेदन किया है।

6. रेस्पोडेंट्स की और से उपस्थित अधिवक्ता ने जवाब में प्रकट किया कि उक्त विभाजन सही नहीं होने से एवं हल्का पटवारी द्वारा आनन फानन में खसरा नंबर 515 / 230 एवं खसरा नंबर 231 में से 6 बीघा भूमि कुल 9 बीघा भूमि अपीलांट के हिस्से में रखी जानी थी जिस पर सभी पक्षकार सहमत थे लेकिन हल्का पटवारी ने अर्जुनराम को खसरा नंबर 231 में 9 बीघा भूमि अपीलांट के हिस्से में दर्ज कर दी जो गलत दर्ज हुई इसलिए अपीलांट की अपील स्वीकार योग्य है तथा रेस्पोडेन्ट्स को किसी प्रकार की कोई आपति व उजर ऐतराज नहीं है।

7. हमने अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं अपीलाधीन अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता है कि मौजा छीतर का पार में खेत खसरा संख्या 231, 515 / 230 कुल रकबा 4–5142 बीघा भूमि खातेदारान अर्जुनराम पुत्र अचलाराम, खरथाराम पुत्र अचलाराम, चेतनराम, जोधाराम, बाबुलाल, मुलचन्द, मोहनलाल, लिखमाराम पि. भेराराम सा. देह के नाम खातेदारी में दर्ज थी। उक्त खातेदारान ने कृषि जोतो का विभाजन प्रार्थना–पत्र पेश कर अपनी खातेदारी की भूमि के विभाजन हेतु प्रशासन गांवो के संग अभियान–2021 में दिनांक 26.11.2021 को प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना–पत्र के संलग्न विभाजन प्रस्ताव के अनुसार विभाजन करने का निवेदन किया। इस पर हलका पटवारी छीतर का पार की रिपोर्ट अनुसार तहसीलदार बायतु द्वारा उक्त अपीलाधीन विभाजन स्वीकृति आदेश क्रमांक 588 दिनांक 26.11.2021 पारित किया गया, जिसके विरूद्ध यह अपील अन्तर्गत धारा 225 इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 01.02.2023 को प्रस्तुत की गई है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया। अधिव[illegible] कि उक्त भूमि में खसरा नंबर 231 में से 6 बीघा भूमि एवं खसर[illegible]5 / 230 पूरा ही अपीलांट के हिस्से में रखा गया था क्यों[illegible]5 / 230 में अपीलांट व उसके पुत्रों की रहवासीय ढाणी[illegible] व उनके पुत्रों का सपरिवार रहवास है तथा भूमि पर काबिज [illegible] है। हल्का पटवारी द्वारा आनन फानन में खसरा नंबर 515 / 230 रेस्पोडेन्ट अर्जुनराम के हिस्से में गलत तरह से रख खसरा नंबर 231 में अपीलांट को 6 बीघा भूमि हिस्से में देना था लेकिन

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Singh Chandawat
Date: 2025.06.20 10:37:00 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय अपर कलक्टर
सत्यमेव जयते
बाड़मेर (राजस्थान)

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

गलती से हल्का पटवारी ने 9 बीघा भूमि अपीलांट के हिस्से मे गलत तरह से दर्शाकर रंग भर दिये। उक्त गलत बंटवाडा अनुसार राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज कर दिये गया उससे अपीलांट एवं रेस्पोडेंट्स को अवगत एवं समझाया तक नहीं था। तथा विभाजन गलत तैयार कागजात व रेकर्ड के आधार पर भूमि के बंटवाडे की अनुमति प्रदान कर भूमि का बंटवाडा कर दिया। गलत बंटवाडा होने से अपीलांट को भारी परेशानी एवं लाखों रूपये लगाकर अपनी ढाणीयां बना रखी है, उससे अपीलांट को महरूम रहना पडेगा जिससे अपीलांट को अत्यधिक अपूर्णनीय क्षति होगी। रेस्पोडेन्ट्स के अधिवक्ता की ओर से कथन है कि हल्का पटवारी द्वारा आनन फानन में खसरा नंबर 515/230 एवं खसरा नंबर 231 में से 6 बीघा भूमि कुल 9 बीघा भूमि अपीलांट के हिस्से में रखी जानी थी जिस पर सभी पक्षकार सहमत थे लेकिन हल्का पटवारी ने अर्जुनराम को खसरा नंबर 231 में 9 बीघा भूमि अपीलांट के हिस्से में दर्ज कर दी जो गलत दर्ज हुई इसलिए अपीलांट की अपील स्वीकार योग्य है तथा रेस्पोडेन्ट्स को किसी प्रकार की कोई आपति व उजर ऐतराज नहीं है। लिहाजा अपीलाधीन विभाजन मौका कब्जा अनुसार नहीं होने से पक्षकारान के बीच विवाद उत्पन्न हो गया है। इस प्रकार अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रकट तथ्यों एवं परिस्थितियों से पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बायतु द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व मौका कब्जा की जांच नहीं करने से उक्त विभाजन दूषित एवं विवादित हो गया है, जिसे बहाल रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

8. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाकर रेस्पोडेंट तहसीलदार बायतु द्वारा पारित विभाजन स्वीकृति आदेश क्रमांक 588 दिनांक 26.11.2021 अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार बाटाडू को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि मौका कब्जा एवं पक्षकारान की सहमति अनुसार राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 में यथा विहित प्रावधानों की पालना करते हुए पुनः नये सिरे से विभाजन की कार्यवाही करें।

9. निर्णय आज दिनांक 13.08.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

(राजेन्द्रसिंह चांदावत)
अति0 जिला कलक्टर,
बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajendra Singh Chandawat
Date: 2025.06.20 10:37:00 IST
Reason: SelfAttested

अपर कलक्टर बाड़मेर (ए.डी.एम.)